राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 6982/2021

सुजान सिंह कबावत पुत्र श्री अर्जुन सिंह कबावत, आयु लगभग 61 वर्ष, गाँव और पोस्ट आकोली, तहसील और जिला जालौर (राज।) (वरिष्ठ नागरिक)---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव के माध्यम से, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज)

2. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जालौर (राज)

3. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, जोधपुर (राज.)

4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालौर।

5. उप निदेशक, राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग, जालौर (राज)---उत्तरदाता।

के साथ जुड़ा हुआ---

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 11805/2020

सुजान सिंह कबावत पुत्र श्री अर्जुन सिंह कबावत, आयु लगभग 61 वर्ष, गाँव और पोस्ट आकोली, तहसील और जिला जालौर (राज।) (वरिष्ठ नागरिक)---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव के माध्यम से, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज)

2. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति जालौर (राज)।

3. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, जोधपुर (राज)।

4. अतिरिक्त निदेशक (पी. एफ.), राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग मुख्यालय, जयपुर (राज.)।

5. उप निदेशक, राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग, जालौर (राज)------उत्तरदाता।

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री पंकज मेहता के लिए सुश्री तान्या मेहता

प्रत्यर्थी(ओं) के लिए: श्री संदीप शाह ए. ए. जी. के साथ श्री पीयूष शर्मा, श्री रवि पंवार, श्री मनीष टाक

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश

30/01/2024

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6982/2021

1. सुजान सिंह कबावत, एक पेंशनभोगी, इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों की कार्रवाइयों और निर्देशों के खिलाफ व्यथित हैं, विशेष रूप से, दिनांक 06.04.2021 के आक्षेपित आदेश के अनुसार, जिसमें Rs.11,44,859/- की राशि को सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल करने की मांग की गई थी, जिसके कारण, उक्त राशि को याचिका के परिणाम के अधीन रोक दिया गया है।

2. उपरोक्त पेंशनभोगी की गाथा सेवानिवृत्ति के बाद आने वाली

नौकरशाही बाधाओं को प्रकट करती है। मामले के तथ्य पेंशन प्रणाली में व्याप्त प्रणालीगत अन्याय को उजागर करते हैं। मामले के तथ्य स्वयं व्याख्यात्मक हैं जैसा कि बाद के उप-अनुच्छेदों से पता चलता है।

2. 1. याचिकाकर्ता को तिलम संघ में परिचालन विकास सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था। यह कहा गया है कि तिलम संघ के कर्मचारियों को ग्राम सेवक के एक खाली पद को भरने के लिए पंचायती राज विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया था, जिसे बाद में ग्राम विकास अधिकारी के रूप में फिर से नामित किया गया था।

2. 2. याचिकाकर्ता उत्तरदाता विभाग में 13.10.2003 को ग्राम सेवक के रूप में शामिल हुआ और बाद में उनकी सेवाओं को 27.01.2011 (Annex.2) के आदेश के अनुसार 13.10.2003 से अवशोषित कर लिया गया। याचिकाकर्ता 6232/- रुपये के कुल वेतन के साथ 5000-8000 के वेतनमान में शामिल हुआ। इसके अलावा, उन्हें 9 साल की सेवा पूरी करने पर पहले चयन पैमाने का लाभ दिया गया था।

याचिकाकर्ता को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन नियम 2008) के तहत वेतन निर्धारण लाभ प्राप्त हुए और सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के बाद उन्हें सभी वार्षिक ग्रेड वृद्धि भी प्रदान की गई। वे 21.01.2019 (अनुलग्नक-3) के आदेश के अनुसार 28.02.2019 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए। यही वह समय था जब उनकी भद्दी कहानी शुरू हुई।

2. 3. प्रत्यर्थी सं. 2 ने याचिकाकर्ता के पेंशन मामले को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और सेवा रिकॉर्ड के साथ प्रत्यर्थी सं. 3 को भेज

दिया। पेंशन विभाग को एक अस्थायी पेंशन मामला भी प्रस्तुत किया गया था (अनुलग्नक-20 के माध्यम से)। प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 2 दिनांकित 27.03.2019 (अनुलग्नक 5), 28.06.2019 (अनुलग्नक 7), 14.11.2019 (अनुलग्नक 11), 28.01.2020 (अनुलग्नक 14), 18.07.2020 (अनुलग्नक 19), और 22.09.2020 (अनुलग्नक 21) को संबोधित पत्रों के माध्यम से याचिकाकर्ता के पेंशन मामले को अंतिम रूप देने में विभिन्न आपत्तियां उठाई।

2. 4. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांकित 05.10.2019 (अनुलग्नक 6), 14.10.2019 (अनुलग्नक 8), 16.12.2019 (अनुलग्नक 12 और 13), और 26.05.2020 (अनुलग्नक 15) की आपत्तियों के जवाब और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए। जवाबों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को पेंशन देने में कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, संदेह, दोष और अन्य आपत्तियों को दूर करने के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता की पेंशन और अन्य लाभों को रोक दिया।

2. 5. पेंशन को रोके जाने से व्यथित याचिकाकर्ता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसे रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें अस्थायी पेंशन को संसाधित करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किया गया था। 2.6. फिर भी, इसमें दूसरे प्रतिवादी ने तीसरे प्रतिवादी को संबोधित एक पत्र/संचार जारी किया, जिसमें सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता को दिए गए अतिरिक्त वेतन की वसूली प्रभावित हुई है।

3. उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, जो आक्षेपित नहीं हैं, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता संबंधित समय में तृतीय श्रेणी के पद पर कार्यरत था और यह उत्तरदाताओं का आरोप भी नहीं है कि वह किसी भी प्रकार की प्रशासनिक शक्ति का आनंद ले रहा था। वेतन का

अतिरिक्त भुगतान, जिसे वसूल करने की मांग की गई है और वर्ष 2003 से 2019 के दौरान उसे भुगतान किया गया था।

4. तथाकथित अतिरिक्त भुगतान की अवधि को देखते हुए, इस स्तर पर न केवल मांगी गई वसूली को निराशाजनक रूप से समय-बाधित किया जाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट होता है कि आक्षेपित आदेश स्वयं उनकी सेवानिवृत्ति के दो साल से अधिक समय बाद 21.01.2019 पर पारित किया गया था।

5. जब इस न्यायालय द्वारा पेंशन नियमों के खिलाफ इस तरह का आदेश पारित करने के आधार के बारे में पूछा गया, तो सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थियों की ओर से कोई औचित्य सामने नहीं आया है। नियमों से यह स्पष्ट है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी से किसी भी तरह की वसूली दो साल की अवधि के भीतर की जा सकती है।

6. उपरोक्त दो साल की नरमी नियोक्ता को चल रही कार्यवाही या अपनी सेवा के दौरान अपराधी पेंशनभोगी के लिए जिम्मेदार किसी भी स्पष्ट खोज के लिए दी जाती है। एक पेंशनभोगी अब विभाग के अधीनस्थ या कर्मचारी नहीं है। इस प्रकार वरिष्ठों की मर्जी से उनके खिलाफ की गई किसी भी विभागीय कार्रवाई के संबंध में पेंशनभोगियों के साथ सेवारत कर्मचारियों के बराबर व्यवहार नहीं किया जा सकता है।

7. उपरोक्त संदर्भ में, थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और ए. आई. आर. 2022 एस. सी. 2153 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ दिया जा सकता है। इसके प्रासंगिक अंश नीचे प्रस्तुत किए गए हैंः

"28. इस तरह की राहत, अतिरिक्त भुगतान की वसूली को वापस रोकने के लिए, अदालतों द्वारा कर्मचारियों में किसी भी अधिकार के कारण नहीं, बल्कि न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए, कर्मचारियों को उन कठिनाइयों से राहत देने के लिए दी जाती है जो वसूली लागू होने पर होंगी। एक सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से जो सेवा के निचले स्तर पर होता है, वह अपने परिवार के रखरखाव के लिए जो भी वेतन प्राप्त करता है, उसे खर्च करता है। यदि वह एक लंबी अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करता है, तो वह इसे खर्च करेगा, वास्तव में यह मानते हुए कि वह इसका हकदार है। चूंकि अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए कोई भी बाद की कार्रवाई उसे अनुचित कठिनाई का कारण बनेगी, इसलिए उस ओर से राहत दी जाती है। लेकिन जहां कर्मचारी को पता था कि प्राप्त भुगतान देय राशि से अधिक था या गलत भुगतान किया गया था, या जहां त्रुटि का पता चला है या गलत भुगतान के थोड़े समय के भीतर ठीक किया गया है, तो अदालतें वसूली के खिलाफ राहत नहीं देंगी। मामला न्यायिक विवेकाधिकार के दायरे में होने के कारण, अदालतें किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर वसूली के खिलाफ ऐसी राहत देने से इनकार कर सकती हैं। 29. इसी सिद्धांत पर, पेंशनभोगी यह निर्देश भी ले सकते हैं कि गलत भुगतान की वसूली नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सेवाकालीन कर्मचारियों की तुलना में पेंशनभोगी अधिक नुकसानदेह स्थिति में होते हैं। अतिरिक्त गलत भुगतान की वसूली के किसी भी प्रयास से उन्हें अनुचित कठिनाई होगी। याचिकाकर्ता अतिरिक्त भुगतान के संबंध में किसी भी गलत निरूपण या धोखाधड़ी के दोषी नहीं हैं। कार्यान्वयन विभागों द्वारा गलत समझ के कारण एन. पी. ए. को न्यूनतम वेतन में जोड़ा गया था। इसलिए हमारा विचार है कि उत्तरदाता दिनांक 7-6-1999 के परिपत्र के अनुसरण में पेंशन के लिए किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान की

वसूली दिनांक 11-9-2001 के स्पष्टीकरणात्मक परिपत्र के जारी होने तक नहीं करेंगे। जहां तक परिपत्र दिनांक 11-9-2001 के बाद किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान का संबंध है, जाहिर है कि भारत संघ अतिरिक्त राशि की वसूली करने का हकदार होगा क्योंकि उक्त परिपत्र की वैधता को बरकरार रखा गया है और पेंशनभोगियों को पहले की गई गलत गणनाओं के संबंध में नोटिस पर रखा गया है।"

8. इन सबसे ऊपर, अन्यथा भी, गुण-दोष के आधार पर, याचिकाकर्ता यहाँ संरक्षण का भुगतान करने का हकदार है/था, क्योंकि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि उसे तिलम संघ विभाग से ग्राम सेवक के रूप में पंचायत राज विभाग में शामिल किया गया था।

9. अपनी चर्चा के परिणाम के रूप में, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिका की अनुमति क्यों नहीं दी जाए। ऐसा आदेश दिया गया है।

10. 06.04.2021 दिनांकित आक्षेपित आदेश को बाद के परिणामों के साथ अलग रखा गया है। प्रत्यर्थियों को लागू सेवा नियमों के तहत परिकल्पित स्वीकार्य ब्याज के साथ आज से दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के सभी पेंशन बकाया को जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 11805/2020

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 6982/2021 में पारित विस्तृत आदेश को देखते हुए रिट याचिका को निष्फल बना दिया गया है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।